लेखानुदान 2017-2018

संख्या : 13/2016/बी-1-2855/दस-2016-12(2)/2017

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 24 अक्टूबर, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये लेखानुदान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संखया-12/2016/बी-1-2832/दस-2016-12(2)/2017 दिनाँक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये लेखानुदान हेतु दिनाँक 31 अक्टूबर, 2016 तक विभागों से प्रस्ताव माँगे गये हैं । कतिपय विभागों द्वारा जिज्ञासा की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिये कितने माह के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव भेजा जाये ।

इस सम्बध में स्पष्ट करना है कि लेखानुदान पूरे वित्तीय वर्ष के व्यय के अनुमान के आधार पर लिया जाता है । अतः प्रशासकीय विभागों द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वचनबद्ध व्यय तथा चालू योजनाओं हेतु अनुमानित व्यय के प्रस्तावों को लेखानुदान हेतु वित्त विभाग को भेजा जाये ।

भवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : 13/2016/बी-1-2855/(1)/दस-2016-12(2)/2017, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2 प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
3 प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।
4 प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
5 समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
6 वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
7 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।